न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 28 / 2010

आरसीएमएस नं. 2010 / 00062

हाकम अली पुत्र बलखु जाति मुसलमान निवासी पोहड़का तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

--अपीलांट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व रावतसर -- रेस्पोडेंट्स

अपील अर्न्तगत धारा 75 एलआरएक्ट

विरूद्ध आदेश दिनांक 01.04.2010

द्वारा उपखण्ड अधिकारी रावतसर

प्र0 सं0 39 / 2007 अनवान हाकमअली बनाम सरकार

श्री देवदत्त भिड़ासरा अभिभाषक अपीलार्थी

श्री राजेश कौशिक अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

निर्णय दिनांक 6.10.2021

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलाण्ट ने उपखण्ड अधिकारी रावतसर के समक्ष एक प्रार्थना–पत्र राजस्थान उपनिवेशन सामान्य शर्तें 1956 की शर्त सं0 8 / 2 में पेश किया जिसमें कथन कियाकि चक 5 पीआरकेएम में उसकी 6.136 है0 खातेदारी भूमि है इस भूमि के प. नं. 116 / 61 के किला नं. 21 ता 25 के पत्येक किला में 0.25 है0 गैरमुमकिन रास्ता दर्ज है। इस रास्ता को कोई उपयोग नहीं है व प्रार्थी का खेत नहर सीमा के चिपता हुआ स्थित है एवं रास्ता के दोनों तरफ प्रार्थी की भूमि है। अपीलाण्ट के खेत के चिपते ही सड़क बन चुकी है। जिससे आवागमन हो रहा है। इसलिए किला नं. 21 ता 25 के में स्थित रास्ते की आवश्यकता न होने

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

पर रास्ता निरस्त करवाना चहाता है। प्रार्थी ने उक्त रास्ते को निरस्त कर करने एवं रास्ते की भूमि को अपने नाम दर्ज करने का अनुतोष मांगा। विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज किया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि किला नं. 21 ता 25 रास्ता दर्ज है और इस रास्ता के दोनों तरफ अपीलांट की भूमि स्थित है व पश्चिम में सड़क स्थित है। उक्त सड़क भी प्रार्थी की भूमि में से चिपते हुए निकली हुई है। सड़क निर्माण के बाद इस रास्ते का कोई उपयोग नहीं रहा है। अपीलाण्ट की भूमि के आगे नहर है व नहर पर रास्ता के समक्ष कोई पुल आदि भी बना हुआ नहीं है। इसलिए अपीलाण्ट इस रास्ता को निरस्त करवाना चाहता है। रास्ता निरस्त करने के संबंध में किसी ने कोई आपत्ति नहीं की है। मगर विचारण न्यायालय ने केवल मात्र रिकार्ड के आधार पर अपीलाण्ट का प्रार्थना–पत्र खारिज कर दिया है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि सम्मत नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी के खेत में से रास्ता तो स्वीकृत है जो मोके पर चालू है लोग बाग उक्त रास्ता का उपयोग करते हैं। रास्ता निरस्त होने से आमजन को आवागमन में असुविधा होगी एवं उक्त रास्ता आबादी से आगे तक स्वीकृत है तथा रास्ते की भूमि प्रार्थी की भूमि नहीं है बल्कि गैरमुमकिन भूमि है। प्रार्थी की भूमि होने के संबंध में कोई रिकार्ड पेश नहीं किया । आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए स्वीकृतशुदा रास्ता को निरस्त नहीं किया जा सकता है। विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है। अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अपीलाण्ट चक नं. 9 पीआरकेएम के प. नं. 116/61 के किला नं. 21 ता 24 भूमि में स्थित रास्ते का निरस्त करवाना चाहता है। यह रास्ता आबादी से आगे सड़क व सड़क से भी आगे तक मन्जूरशुदा रास्ता है, जिस पर आमजन आवागमन भी करते हैं जहां तक प्रार्थी की भूमि में से रास्ता स्वीकृत करने का प्रश्नगत है प्रस्तुंत जमाबंदी में

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

रास्ते की भूमि का कोई अंकन नही है तथा अपीलाण्ट ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे साबित हो कि प्रश्नगत रास्ते को अपीलाण्ट ने अपनी भूमि में से स्वीकृत करवाया हो। ऐसी स्थित में विचारण न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 01.04.2010 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 6.10.22 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

6/10/22

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)